भारत निर्वाचन आयोग **निर्वाचन सदन**

अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001

सन्दर्भ मामला संख्या 2 (जी), 2017

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल से सन्दर्भ]

संबंध में: संदर्भ मामला संख्या 2(जी), 2017 - मध्य प्रदेश के विधायक श्री मोती कश्यप की भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अधीन कथित निरर्हता के आरोप के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से अभिमत प्राप्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल से प्राप्त संदर्भ

अभिमत

यह सन्दर्भ दिनांक 16 मार्च 2017 है, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल से भारत के संविधान के अनुच्छेद 192(2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर अभिमत प्राप्त करने के लिए है कि क्या सं 91 बड़वारा, कटनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित विधायक श्री मोती कश्यप भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अधीन विधान सभा का सदस्य होने के नाते निरर्हता का विषय बन गए हैं।

2. उक्त सन्दर्भ में, निरर्हता का प्रश्न दो याचिकाओं के कारण उठा है, जिसमें से एक दिनांक 07 फरवरी 2017 का है जो श्री बंशीलाला धनवाल द्वारा और दूसरा श्री रामलाल कोल (इसमें इसके बाद, जिन्हें *"याचिकादाताओं"* कहा गया है) द्वारा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष दायर किया गया था, जिसके द्वारा याचिकादाताओं ने श्री मोती कश्यप (इसके बाद, जिन्हें *"प्रतिवादी"* कहा गया है) को एक गलत जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सं 91 बड़वारा, कटनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1) के अधीन निरर्हित करने का अनुरोध किया गया था।

3. प्रतिवादी को वर्ष 2008 में सं 91 बड़वारा, कटनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधान सभा में निर्वाचित किया गया था। उक्त निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति के लिए आरक्षित है। याचिकादाताओं ने यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादी एक नकली जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है, और, इसलिए वे नि नर्ह घोषित किए जाने के पात्र हैं। याचिकादाताओं ने *रामलाल कोल बनाम मोती कश्यप @ मोतीलाल* (2009 की निर्वाचन याचिका संख्या 20) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 10 अप्रैल 2013 के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनि र्धारित किया गया था कि प्रतिवादी अन्य पिछड़े वर्गों से आता है और न कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से है और यह कि उनके नामनिर्देशन कागजात के समर्थन में उन्होंने जो जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था वह एक जाली दस्तावेज थी। अतः, याचिकादाताओं का यह तर्क कि चूंकि प्रतिवादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है अतः वे पूर्वोक्त आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधायक होने के नाते लोक

प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1951** (इसके बाद, जिसे *"1951 अधिनियम"* कहा गया है) की धारा **5**(ए) के अधीन वे नि रर्ह हैं, जिसमें यह उपबंधित है कि व्यक्ति उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किसी सीट को भरने हेतु चुने जाने के लिए तब तक "अर्हता" प्राप्त नहीं करेंगा जब तक कि वह उन जनजातियों में से किसी एक से नहीं आता हो। याचिकादाताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद **191(1)** (ङ) के अधीन प्रतिवादी को नि रर्ह घोषित करने का अनुरोध किया है।

4. राज्यपाल से प्राप्त वर्तमान सन्दर्भ के बारे में उठने वाला वह प्रारंभिक प्रश्न जिस पर आयोग को विचार करना है वह यह है कि क्या वर्तमान याचिकाएं, जिनमें उनमें उल्लिखित कारणों से मध्य प्रदेश विधान सभा की सदस्यता से प्रतिवादी की नि रहता की मांग की गई है, भारत के संविधान के अनुच्छेद **192(1)** की शर्तों के अनुसार संधार्य है।

5. याचिकाओं के प्रकथनों से, यह पाया गया है कि याचिकादाताओं का यह आरोप कि प्रतिवादी ने इस बात का नकली प्रमाणपत्र प्राप्त किया है कि वह अनुसूचित जनजाति का है और ऐसे प्रमाणपत्र के आधार पर उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से मध्य प्रदेश विधान सभा का निर्वाचन लड़ा है। याचिकादाताओं ने *रामलाल कोल बनाम मोती कश्यप @ मोतीलाल* (**2009** की निर्वाचन याचिका संख्या **20**) के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक **10** अप्रैल **2013** के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह अभिनि धारित किया गया था कि प्रतिवादी अन्य पिछड़े वर्गों से है और न कि अनुसूचित जनजाति वर्ग से और यह कि अपने नामनिर्देशन कागजात के समर्थन में उन्होंने जो जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था वह एक जाली दस्तावेज था। यहां यह उल्लिखित किया जा सकता है कि *मोती कश्यप @ मोतीलाल बनाम रामलाल कोल एवं अन्य* (**2013** की सिविल अपील संख्या **4701**) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक **04** मई **2016** के अपने आदेश के जरिए यह अभिनि र्धारित किया कि उच्च न्यायालय का दिनांक **10** अप्रैल **2013** का निर्णय निष्फल हो गया है। अतः, याचिकादाताओं का यह आरोप है कि प्रतिवादी **1951** अधिनियम की धारा **5**(ए) के अधीन अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा का निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हता प्राप्त नहीं था।

6. यह सुस्थापित बात है कि भारत के संविधान के अधीन 'अर्हता' एवं 'नि रर्हता' दो अलग-अलग सिद्धांत हैं। संविधान ने राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए अनुच्छेद **173** के अधीन कतिपय अर्हताएं एवं अनुच्छेद **191** के अधीन कुछ नि रर्हताएं अलग से विनिर्दिष्ट की है। *श्यामदेव प्रसाद सिंह बनाम नवल किशोर यादव* (एआईआर **2000** एससी **3000**) के मामले में भी यह अभिनि र्धारित किया गया है कि 'अर्हता में कमी' 'नि रर्हता' के समान नहीं होती।

7. अनुच्छेद **192** के उपबंधों को देखने से यह दर्शित होगा कि अनुच्छेद **191** के अधीन केवल नि रर्हता का प्रश्न राज्यपाल के समक्ष उठाया जा सकता है, और अनुच्छेद **173** के अधीन अर्हता या अर्हता में कमी का प्रश्न उठाया नहीं जा सकता है। अनुच्छेद **192** का पठन निम्न प्रकार से है:

> *"**192.** सदस्यों की नि रर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनि श्चय- **(1)** यदि यह प्रश्न उठता है कि किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद **191** के खंड **(1)** में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनि श्चय के लिए नि र्देशित किया जाएगा और उसका विनि श्चय अंतिम होगा।*
>
> ***(2)** ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल नि र्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"*

8. सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की श्रृंखला के माध्यम से यह तय हो गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद **192(1)** के अधीन राज्यपाल का क्षेत्राधिकार केवल निर्वाचन-उपरांत नि रर्हताओं और संविधान के अनुच्छेद **191** में संदर्भित मामलों में होता है। आयोग का कथित निरर्हता के ऐसे प्रश्नों, संविधान के अनुच्छेद **192(2)** के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा उसे संदर्भित किए जाने पर, की जांच करने का क्षेत्राधिकार भी निर्वाचन-उपरांत निरर्हता के मामलों में ही उत्पन्न होता है। अर्हता की कमी के बारे में कोई भी प्रश्न अनुच्छेद **192** के अधीन राज्यपाल और निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके अतिरिक्त, निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का कोई प्रश्न, अर्थात, किसी व्यक्ति के निर्वाचन के समय या उससे पूर्व वह जिस निरर्हता से ग्रस्त था या निर्वाचन में खड़े होने में अर्हता की कमी का विषय **1951** अधिनियम के भाग **VI** के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद **329(बी)** के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के माध्यम से उठाया जा सकता है और न कि संविधान के अनुच्छेद **192(1)** के अधीन। इस संबंध में, *निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकट राव* **(**एआईआर **1965** एससी **1892)**, और *निर्वाचन आयोग बनाम एन जी रंगा* **(**एआईआर **1978** एससी **1609)** में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सन्दर्भ आकर्षित किया जाता है।

9. ऊपर संदर्भित सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी पर निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हता की कथित कमी के आरोप का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद **192(1)** के अधीन राज्यपाल के समक्ष उठाया नहीं जा सकता है। निर्वाचन आयोग को भी अर्हता की ऐसी कथित कमी के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद **192(1)** के अर्थों में राज्यपाल के समक्ष संधार्य नहीं है।

10. मामले से विदा लेने से पूर्व, निर्वाचन आयोग यह बताना चाहेगा कि वर्तमान मामला उस अनुच्छेद **192** में जो निर्वाचन-उपरांत की निरर्हताओं के प्रश्नों के बारे में है विधि में इस दृष्टि से गंभीर कमी को सामना लाता है कि यह निर्वाचन उपरांत अर्हता गवाने वाले सदस्य से मामलों से सरोकार नहीं रखता है जैसाकि वर्तमान मामले में है, यह एक गंभीर चुनौती खड़ा करता है क्योंकि इस बात की संभावना है कि एक सतर्क नागरिक द्वारा उच्च न्यायालय में निर्वाचन याचिका के माध्यम से इसके खिलाफ चुनौती न किए जाने पर यह अविधिमान्यता कायम रह जाएगी। निर्वाचन याचिका **45** दिनों के भीतर अवश्य दायर की जाए और किसी भी कारण से विलंब के लिए माफी का कोई वैधानिक उपबंध नहीं है **(***किशोर लाल बनाम श्री परिमल नथवानी, श्री आर के आनंद एवं श्री जय प्रकाश नारायण सिंह,* एआईआर **2011** झार **147: *हुकुमदेव नारायण यादव बनाम ललित नारायण मिश्रा,*** एआईआर **1974** एससी **430)**। अतः, न तो संविधान में और न ही फोरम विहित करने वाले सांविधिक कानूनों में ऐसा कोई स्पष्ट उपबंध है जिसके समक्ष निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का प्रश्न, जो निर्वाचन के बाद भी बना हुआ है या निर्वाचन के समय अर्हता की कमी या बाद में एक निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा अर्हता खोने का प्रश्न उठाया न जा सके या उस पर विनिश्चय किया जा सके, जहाँ परिणामों की घोषणा के बाद **45** दिनों के भीतर किसी भी कारण से कोई याचिका दायर नहीं की गई है। इस तरह, विधि में यह रिक्ति लोगों को निर्वाचन प्रणाली के साथ धोखाधड़ी करने देती है और इससे निर्वाचन प्रणाली की शुचिता नष्ट होती है। पहले भी, विधि की इस रिक्ति को पहचानते हुए आयोग ने विधि एवं न्याय मंत्रालय को इस समस्या के बारे में दिनांक **08** जुलाई **2016** के पत्र के माध्यम से संदर्भित किया था ताकि इस सवाल का उपयुक्त विधान के ज़रिए निराकरण किया जा सके।

11. आयोग राज्य सरकारों पर भी दबाव डालना चाहेगा कि संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा जाति प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में सभी पहलुओं को सुचारू बनाया जाए ताकि अनैतिक व्यक्ति नकली जाति प्रमाणपत्र प्राप्त न कर सके, जिसके द्वारा वे योग्य व्यक्तियों को उनका संवैधानिक अधिकार प्राप्त करने से वंचित कर देते हैं। हितार्थियों एवं शामिल अधिकारियों सहित सभी संबंधित लोगों के आपराधिक अभियोजन पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श **(**जांच**)** की जाए। आयोग के लिए यह एक अत्यंत चिंता का विषय है कि ऐसी घटनाओं को दुबारा घटने न दिया जाए जिससे कि मौजूदा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति पैदा हो।

12. मध्य प्रदेश के राज्यपाल से प्राप्त सन्दर्भ को, तदनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद **192(2)** के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस राय के साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल को इस आश्य से वापस किया जाता है कि श्री बंसीलाल धनवाल और श्री रामलाल कोल की उक्त याचिका संविधान के अनुच्छेद **192(1)** के अधीन संधार्य नहीं है।

ह./-	**ह./-**	**ह./-**
(श्री ओ.पी रावत)	**(डॉ नसीम ज़ैदी)**	**(श्री ए.के जोती)**
निर्वाचन आयुक्त	**मुख्य निर्वाचन आयुक्त**	**निर्वाचन आयुक्त**

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 16 मई **2017**